

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : डीसी/डी-1/2013/360

दिनांक 02/8/2013

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26-क के तहत मधुमेह रोग के उपचार में ली जाने वाली "पायोग्लिटैजोन" तथा पायोग्लिटैजोन युक्त सभी फार्मूलेशन्स की मानव उपयोग के लिये निर्माण, बिक्री व वितरण को तुरन्त प्रभाव से सस्पेन्ड कर दिया था।

अब केन्द्र सरकार द्वारा औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर पुनः दिनांक 31.07.2013 को अधिसूचना जारी कर इस दवा के उपयोग पर लगाई गई रोक सशर्त हटा ली गई है, जिसके लिये विनिर्माताओं को मुख्यतः इन दवाओं के पैकेज पर और इसके भीतर प्रचार सामग्री का उल्लेख करना होगा कि : इस औषधि को मधुमेह के प्रथम उपचार में उपयोग नहीं किया जावे तथा चिकित्सक को सलाह दी है कि 3 से 6 माह के उपचार पश्चात् रोगी के उपचार की समीक्षा की जावे चूंकि पायोग्लिटैजोन के साथ मूत्राशय कैंसर और हृदय आघात का जोखिम जुड़ा हुआ है एवं सक्रिय मूत्राशय कैंसर वाले रोगियों को यह दवा नहीं दी जावे।

राज्य के औषधि नियंत्रण संगठन ने इस संबंध में दिनांक 02.08.2013 को सभी संबंधितों, दवा निर्माताओं एवं विक्रेताओं को इसकी पालना करने एवं सशर्त उपयोग करने के लिये तदनुसार निर्देश जारी किये हैं।

इस दवा के कुछ प्रमुख ब्राण्ड यथा: ट्राइप्राईड (माइक्रो डी टी एफ), पायोग्लार (रिनबेक्सी-स्टेनकेयर), पायोग्लिट (सन फार्मा), ग्लैजोन इत्यादि अब बाजार में मधुमेह रोगियों के उपचार हेतु उपलब्ध रह सकेंगे।

02/8/2013
(वी0के0 ढल)
औषधि नियंत्रक
राज0, जयपुर
9829258937

सहायक निदेशक,
जनसम्पर्क,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

प्रति : प्रभारी, सर्वर कम - कृपया इसे विक्रेताओं के पास उपलब्ध करें।